न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकांत व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 49/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामकरण पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राधा पुत्री प्रताप गुर्जर निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रमती पुत्री प्रताप गुर्जर निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र उरजन गुर्जर निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. महावीर प्रसाद पुत्र धन्ना दास बैरागी निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. प्रहलाद पुत्र अर्जुन गुर्जर निवासी नोला का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लि0 शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07.03.2025

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन **दिनांक 08.04.2022** को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता के.के. जीनगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं एवं वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किय आराजीया नम्बर 207 को बैचान करने से खाते में नयी आराजीयात नम्बर 473/207 प्रहलाद पिता अर्जुन गुर्जर निवासी नोला का खेडा का नाम अंकित हो गया है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है का पेश किया जो स्वीकार किया गया साथ में संसोधित अनवान एवं प्रहलाद पिता अर्जुन गुर्जर के नोटिस प्रस्तुत किये गये जो बाद तामील अनुपस्ति होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार **मौजा नोला का खेड़ा पटवार मण्डल उपरेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा स्थित आराजी नं. 189 कुल किता 01 रकबा 0.2782 है0, भूमि प्रार्थीगण** के पक्ष में खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है एवं प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने

से अडौसी–पडौसियों से मिन्नत करके अपनी स्वंय की आराजी तक पहुंचना पड़ता है। अतः **विपक्षीगण की आराजीया में से 16 फिट रास्ता कायमी बाबत्** प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में **तहसीलदार बनेड़ा** को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

तहसीलदार बनेड़ा के पत्र दिनांक 23.10.2024 से प्रकरण में हल्का पटवारी उपरेड़ा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्शा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, एवं जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत् रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की **मौजा नोला का खेडा की आराजी सं. 226 सरकारी पश्चिमी मेढ़ से नक्शे में दर्शायें अनुसार रकबा रकबा 0.0435 है0 व खातेदार आराजीयात सं. 473/207 में से रकबा 0.0050 है0 कुल किता 02 रकबा 0.0485 है0 भूमि रास्ते हेतु** प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमंशा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में पहुचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में **तहसीलदार बनेड़ा** से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **आराजी सं. 226 सरकारी पश्चिमी मेढ़ से नक्शे में दर्शायें अनुसार रकबा रकबा 0.0435 है0 व खातेदार आराजीयात सं. 473/207 में से रकबा 0.0050 है0 कुल किता 02 रकबा 0.0485 है0** रास्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार स्वीकार इस आशय के साथ किया जाता है कि **विपक्षी सं. 3 व 05** को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षेत्रफल (रास्ते) का राज्य सरकार में राशि जमा करवायेंगे।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र **मौजा नोला का खेडा की आराजी सं. 226 सरकारी पश्चिमी मेढ़ से नक्शे में दर्शायें अनुसार रकबा रकबा 0.0435 है0 व खातेदार आराजीयात सं. 473/207 में से रकबा 0.0050 है0 कुल किता 02 रकबा 0.0485 है0** नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त नक्शा ट्रेस की एक प्रति तहसीलदार बनेड़ा को भिजवायी जाकर **हल्का पटवारी उपरेडा** के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से **मौजा नोला का खेड़ा पटवार मण्डल उपरेडा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा में स्थित आराजी सं. 226 सरकारी पश्चिमी मेढ़ से नक्शे में दर्शायें अनुसार रकबा रकबा 0.0435 है0 व खातेदार आराजीयात सं. 473/207 में से रकबा 0.0050 है0 कुल किता 02 रकबा 0.0485 है0** भूमि से मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेड़ा द्वारा किया जावें। यह आदेश तभी प्रभावी होगा जब **प्रार्थीगण** द्वारा विपक्षी सं. 03 व 05 को डीएलसी की दुगनी दर अनुसार भुगतान उनके क्षेत्रफल (रास्ते के) का करेगें

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... न्यायालय
सत्यमेव जयते